



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014—श्रावण 6, शक 1936

#### परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. एफ 22-11-2014-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की ऐसी बसों को जिनका उपयोग पचमढ़ी में आयोजित नागद्वार मेला, 2014 में महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी की गई अस्थाई अनुज्ञाओं के अंतर्गत यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाएगा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दरों से देय मोटरयान कर के भुगतान से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है :—

- (1) यह छूट 01 अगस्त, 2014 से 3 अगस्त, 2014 तक ही प्रभावशील रहेगी।
- (2) यह छूट ऐसी अस्थाई अनुज्ञाओं के संबंध में लागू होगी जिन्हें केवल महाराष्ट्र राज्य से पचमढ़ी नागद्वार मेला, 2014 के लिये यात्रियों को ले जाने हेतु स्वीकृत/जारी की गई हो।
- (3) यह छूट अन्य स्थाई/अस्थाई अनुज्ञाओं के अधीन संचालित महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों के लिए लागू नहीं होगी।

No. F 22-11-2014-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby, exempts from payment of motor vehicle tax payable as per rates specified in First Schedule under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, in respect of temporary permits issued by the State Transport Authority, Maharashtra to such buses of Maharashtra State Road Transport Corporation which shall be used for carrying passengers to Nagdwar Mela, 2014 organized at Pachmarhi under following terms and conditions :—

- (1) This exemption shall be effective only from 1st August, 2014 to 3rd August, 2014.
- (2) This exemption shall be applicable in respect of such temporary permits granted/issued for carrying passengers from Maharashtra State to Pachmarhi Nagdwar Mela, 2014 only.
- (3) This exemption shall not be applicable to the buses of Maharashtra Road Transport Corporation plying under any other permanent/temporary permits.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव,